का॰ज्ञा॰सं॰ 12024/2/97-रा॰भा॰ (का-2) दिनांक फरवरी, 1997

विषय:— नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन , कार्यकलापों एवं कार्यावधि आदि के सम्बन्ध में मानक टिप्पण।

देश के विभिन्न नगरों में राजभाषा-कार्यान्वयन की प्रगति के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इस समय देश में 165 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित है। इन समितियों के कार्यकलापों में गतिशीलता लाने के लिए समितियों के अध्यक्षों/सदस्य सचिवों के दायित्व-निर्वाह के संदर्भ में राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं।

2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों/सचिवों की अद्यतन जानकारी एवं सुविधा के लिए एक मानक टिप्पण संलग्न है जो कि समिति की गतिविधियों के संचालन में उपयोगी सिद्ध होगा।

3. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश राजभाषा हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी नियम-पुस्तक (द्वितीय संस्करण) के पृष्ठ 15-17 पर दिए गए हैं।

कृपया इस परिपत्र की पावती दें।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कार्यकलाप, कार्यविधि एवं मूल लक्ष्य

गठन: राजभाषा विभाग के दिनांक 22-11-1976 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 1/14011/10/76-रा॰भा॰ (का-1) के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां केन्द्रीय सरकार के इससे अधिक कार्यालय हों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा सकता है। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव (राजभाषा) की अनुमति से किया जाता है।

अध्यक्षता: इन समितियों की अध्यक्षता नगर विशेष में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष को राजभाषा विभाग द्वारा नामित किया जाता है। नामित किए जाने से पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष से समिति की अध्यक्षता के सम्बन्ध में लिखित सहमति प्राप्त की जाती है।

सदस्यता: नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/उपक्रमों/बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होते हैं। उनके वरिष्ठतम अधिकारियों (प्रशासनिक प्रधानों) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें।

सदस्य-सचिव: समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय से अथवा किसी सदस्य कार्यालय से एक हिन्दी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य-सचिव मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष की अनुमति से समिति के कार्यकलाप सदस्य-सचिव द्वारा किए जाते हैं।

बैठकें : इन समितियों की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक समिति की बैठकें आयोजित करने के माहों के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा एक कैलेन्डर रखा जाता है। समिति के गठन के समय बैठकें आयोजित करने के माहों के सम्बन्ध में भी सूचित कर किया जाता है और समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी बैठकें निर्धारित माहों में ही करवाने का प्रयास करें।

प्रतिनिधित्व : इन समितियों की बैठकें में नगर विशेष में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के प्रशासनिक प्रधान भाग लेते हैं। राजभाषा विभाग (मुख्यालय) एवं इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारी भी इन बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर स्थित केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की शाखाओं में से किसी एक प्रतिनिधि एवं हिन्दी शिक्षण योजना के किसी एक अधिकारी को भी बैठक में आमन्त्रित किया जाता है।

उद्देश्य : केन्द्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच की आवश्यकता महसूस की गई ताकि जहां मिल बैठकर सभी कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि चर्चा कर सकें। फलत: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करना है।

कार्यकलाप : राजभाषा विभाग के दिनांक 3-9-1979 के का॰ज्ञा॰सं॰ 12027/2/79-रा॰भा॰ (ख-1) के अनुसार इन समितियों के मुख्यत: निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए :-

(1) राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना;

(2) नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों पर विचार करना;

(3) हिन्दी के सन्दर्भ साहित्य, टाइपराइटरों, आशुलिपिकों, टाइपिस्टों आदि की उपलब्धता की समीक्षा करना; और

(4) हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना।

इन प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जैसे हिन्दी संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित करना, हिन्दी दिवस/ सप्ताह का आयोजनएं हिन्दी से सम्बन्धित सेमिनार/संगोष्ठियां आदि आयोजित करना, हिन्दी की प्रगति में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालय को पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्रदान करना।

राजभाषा विभाग के दिनांक 22-9-88 के का॰ज्ञा॰सं॰ 12027/39/88-रा॰भा॰ (ख-2) में समितियों की बैठक में चर्चा के लिए तैयार की जाने वाली कार्यसूची में रखी जाने वाली पदों के सम्बन्ध में निदेश दिए गए हैं।

वर्गीकरण एवं बैठकों हेतु प्रतिपूर्ति राशि : जिन समितियों के सदस्य कार्यालयों की संख्या 100 से अधिक है, उन्हें बड़ी समिति माना जाता है और जिनके सदस्य कार्यालयों की संख्या 100 या उससे कम है उसे छोटी समिति माना जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा बड़ी समितियों को 3000/-रू॰ प्रति बैठक एवं छोटी समितियों को 1500/-रू॰ प्रति बैठक की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है। बैंकों एवं उपक्रमों के लिए विशेष रूप से गठित समितियों को कोई राशि प्रदान नहीं की जाती । समिति की बैठक पर हुए खर्च के सम्बन्ध में एक खर्च-उपयोग प्रमाण-पत्र जो (राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार) समिति के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित हो, राजभाषा विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को बैठक के आयोजन की 15 दिन के अन्दर-अन्दर भेजा जाना चाहिए।

सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली समिति को पुरस्कार : राजभाषा विभाग के दिनांक 22 अप्रैल 1991 के का॰ज्ञा॰सं॰ 12024/1/91-रा॰भा॰ (ख-2) के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों और इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड वितरण समारोह में शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है और समिति के सदस्य सचिव को प्रशस्तिपत्र भी दिया जाता है।